न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–334 सन 2026
तकी————बनाम————————राज्य।

दिनॉक–06.06.2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 3ए पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 3ए

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र 3ए अन्तर्गत धारा–448 बी0एन0एस0एस0 संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांकित 12.10.2016 के सम्बन्ध में क्रमश तीन अभियोग मु0अ0सं0 451/2016, मु0अ0सं0 452/2016 व मु0अ0सं0 453/2016, थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत हुये थे। विवेचना उपरान्त सभी अभियोगो के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिये गये। मु0अ0सं0 452/2016, सत्र विचारण संख्या 722/2021 सरकार बनाम तकी, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 आई०पी०सी० का विचारण सत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–4, बुलन्दशहर में हो रहा है। मु0अ0सं0 451/2016, सरकार बनाम इलियास आदि अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 294, 323, 506 आई०पी०सी०, थाना जहाँगीराबाद का वादी है। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) तृतीय, बुलन्दशहर के यहाँ विचाराधीन है। मु0अ0सं0 453/2016, सरकार बनाम इलियास आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 332, 353 504, 506 आई०पी०सी० व 7 क्रि०लॉ०अ०एक्ट थाना जहाँगीराबाद में अभियुक्त है। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज (एस०डी०) तृतीय, बुलन्दशहर के यहाँ विचाराधीन है। मु0अ0सं0 451/2016, मु0अ0सं0 452/2016 व मु०अ०सं० 453/2016 एक ही घटना से सम्बन्धित अपराध है इसलिए सभी वादो का विचारण एक साथ होना न्यायहित में अति आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मु0अ0सं0 453/2016, सरकार बनाम इलियास आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 332, 353 504, 506 आई०पी०सी० व 7 क्रि०लॉ०अ०एक्ट थाना जहाँगीराबाद व मु0अ0सं0 451/2016, सरकार बनाम इलियास आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 504, 506 आई०पी०सी०, थाना जहाँगीराबाद की पत्रावली को न्यायालय अपर सिविल जज (एस०डी०) तृतीय, बुलन्दशहर के यहाँ से तलब कर विचारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–4, बुलन्दशहर के यहाँ स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। इन कथनों के आधार पर याचना की गय है कि मु०अ०सं० 453/2016, सरकार बनाम इलियास आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 332, 353 504, 506 आई०पी०सी० व 7 क्रि०लॉ०अ०एक्ट थाना जहाँगीराबाद एवम् मु0अ0सं0 451/2016, सरकार बनाम इलियास आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 504, 506 आई०पी०सी०, थाना जहाँगीराबाद की पत्रावली को न्यायालय अपर सिविल जज (एस०डी०) तृतीय, बुलन्दशहर के यहाँ से तलब कर विचारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–4, बुलन्दशहर के यहाँ स्थानान्तरित करने के आदेश पारित किये जायें।

पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि मु0अ0सं0 451/2016, मु0अ0सं0 452/2016 व मु०अ०सं० 453/2016 एक ही घटना से सम्बन्धित अपराध है इसलिए सभी वादो का विचारण एक साथ होना न्यायहित में अति आवश्यक है।

आवेदक की आपत्ति के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित मुकदमा अपराध संख्याओं से सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावलियों के अवलोकन से विदित होता है कि मु0अ0सं0 452/2016 से सम्बन्धित सत्र विचारण संख्या 722/2021 सरकार बनाम तकी, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 आई०पी०सी० का विचारण सत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–4, बुलन्दशहर द्वारा किया जा रहा है। जबकि मु0अ0सं0 451 सन 2016 से सम्बन्धित वाद संख्या–1945 सन 2020 सरकार बनाम इलियास आदि तथा मु0अ0सं0–453 सन 2016 से सम्बन्धित वाद संख्या–4547 सन 2018 वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–3, बुलन्दशहर में विचाराधीन हैं। वाद संख्या–1945 सन 2020 सरकार बनाम इलियास आदि तथा वाद संख्या–4547 सन 2018 सरकार बनाम इलियास आदि की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पत्रावलियों में अग्रिम तिथि 23.06.2026 वास्ते सत्र सपुर्दगी निश्चित की गयी है। उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या–1945 सन 2020 सरकार बनाम इलियास आदि तथा वाद संख्या–4547 सन 2018 सरकार बनाम इलियास आदि की पत्रावलियों को शीघ्र ही सत्र सुपुर्द कर दिया जाएगा। ऐसी दशा में आवेदक की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में पूर्व से ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकिया की जा रही है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद निरस्त किया जाता है। तलबशुदा पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जायें।

दिनॉक–06.06.2026

(संजय सिंह–।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई.डी. यू0पी0–2015

Shivam Gaur/P.A.

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 16:36:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court